"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 मई 2010—वैशाख 24, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2010

क्रमांक 536/175/2010/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अर्जित अवकाश	2-3-2010 से 5-3-2010	04 दिवस
लघुकृत अवकाश	6-3-2010 से 12-3-2010	07 दिवस

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुंमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, अतिरिक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 10-17/2010/1/5.—श्री शिवराज सिंह (सेवानिवृत्त भा.प्र.से.) राज्य निर्वाचन आयुक्त छत्तीसगढ़ को दिनांक 25-03-2010 से 26-03-2010 तक कुल 02 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवराज सिंह, राज्य निर्वाचन आयुक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक 488/254/2010/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 10-5-2010 से 21-5-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2010

क्रमांक 490/255/2010/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 10-5-2010 से 22-5-2010 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्रमांक 492/269/2010/1-8/स्था.—श्री अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 4-5-2010 से 13-5-2010 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये पेरिस (विदेश) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल टुटेजा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल टुटेजा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्रमांक 494/192/2010/1-8/स्था.—श्री एच. पी. किण्डो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 15-2-2010 से 3-4-2010 तक 48 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एच. पी. किण्डो को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. पी. किण्डो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक 450/224/2010/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 19-4-2010 से 27-4-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/2/2005/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20-01-2010 के द्वारा श्रीमती ऋतु सैन, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव को दिनांक 23-01-2010 से 15-04-2010 तक (83 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है. इसी अनुक्रम में श्रीमती सैन को दिनांक 16-04-2010 से 01-05-2010 तक (16 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दि. 02-05-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

2. आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक ई 7-11/2008/1/2.—श्री बसवराजू एस., भा. प्र. से., तका. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा को दिनांक 23-04-2010 से 01-05-2010 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 02-05-2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बसवराजू एस. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बसवराजू एस. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसवराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2010

क्रमांक ई-7/06/2007/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22-04-2010 जिसके द्वारा श्री एम. एस. परस्ते, भा.प्र.से., कलेक्टर, जिला-बस्तर (छ. ग.) को दिनांक 31-05-2010 से 05-06-2010 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, उक्त आदेश को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ 1/08/दो गृह/भापुसे/2005.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से. (2004), पुलिस अधीक्षक, कांकेर को पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 19-04-2010 से दिनांक 28-04-2010 तक कुल 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 17, 18 अप्रैल 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अजय कुमार यादव, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका कार्यभार श्री बालाजी राव सोमावर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कांकेर को सौंपा जाता है.

3. श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, कांकेर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, कांकेर के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार यादव, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, कांकेर अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक/एफ 1/23/दो गृह/भापुसे/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, मध्य रेंज भिलाई छ. ग. को सपरिवार (पत्नी श्रीमती संजीता गुप्ता तथा पुत्र तनय गुप्ता सहित) खंड वर्ष 2010-11 के अंतर्गत गृह नगर जयपुर (राजस्थान) जाने हेतु दिनांक 03-05-2010 से दिनांक 29-05-2010 तक कुल 27 दिवस के अर्जित अवकाश तथा दिनांक 02, 30 मई 2010 के शासकीय विज्ञप्त अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित अवकाश यात्रा सुविधा (एल.टी.सी.) की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, मध्य रेंज भिलाई को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे के उक्त अवकाश अवधि में उनका वर्तमान कार्यभार श्री आर. के. देवांगन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, बिलासपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ सौंपा जाता है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, मध्य रेंज भिलाई के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छ. स. बल, मध्य रेंज भिलाई छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एल. लिखार, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्रमांक/3930/21-बजट/छ. ग./2010.—राज्य शासन, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र. 1 (3)/2008-EII (B), नई दिल्ली, दि. 31 मार्च 2010 के अनुसार राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में, केन्द्र के समान, वृद्धि करते हुए, दि. 1-1-2010 से 73 प्रतिशत के स्थान पर 87 प्रतिशत महंगाई भत्ते दिये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करता है.

इस संबंध में वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 174/25982/वित्त विभाग/ब-3/2010 दि. 27-4-2010 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 1-9/2008/13-1.—छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्नियम की कंडिका-77 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जी. एस. कलसी, कार्यपालक निदेशक (टी एण्ड डी) को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में आगामी आदेश तक निदेशक (संचालन) नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचि

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन. टी. पी. सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम. पी./3825 को दिनांक 01-05-2010 से 31-05-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 7-16/2009/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देशित करता है कि रिकॉनेसन्स परमिट/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की स्वीकृति/खनिपट्टा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में व्याप्त कमियों/विसंगतियों की पूर्ति कराने हेतु खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 5(2), 12 (1बी) तथा 26(3) के अधीन राज्य शासन को प्रयोक्तव्य शक्तियां अनुसूची में दर्शित अधिकारियों द्वारा भी उनकी अधिकारिता क्षेत्र के लिये प्रयोक्तव्य होंगी—

अनुसूची

स. क्र.	अधिकारी का नाम	अधिकारिता क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	अपर संचालक	सम्पूर्ण राज्य
	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	सम्पूर्ण राज्य.

(1)	(2)	(3)
3.	उप संचालक (खनिज प्रशासन) (संचालनालय में पदस्थ होने की स्थिति में)	सम्पूर्ण राज्य
4.	उप संचालक (खनिज प्रशासन) (जिले में पदस्थ होने की स्थिति में)	संबंधित जिले की अधिकारिता क्षेत्र में

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 7-16/2009/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-16/2009/12, दिनांक 07-04-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th April 2010

No. 7-16/2009/12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) Section 26 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby directs that the powers exercisable by it under rule 5 (2), 12 (1B) and 26 (3) of MCR 1960, shall also be exercisable by the officers specified in the Schedule below for the areas specified against the corresponding.

SCHEDULE

Sr. No. (1)	Officers (2)	Jurisdictions (3)
1.	Additional Director	Whole of the State
2.	Joint Director (Mineral Administration)	Whole of the State
3.	Deputy Director (Mineral Administration) Directorate of Geology & Mining, Chhattisgarh.	Whole of the State
4.	Deputy Director (Mineral Administration) when posted in District.	Areas comprised within the limit of their respective districts.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मई 2010

क्रमांक-एफ-3-97/रा-2/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा के भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलायेंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अंतर्गत भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

   (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

   (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ञ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5, पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग;

   (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ मुद्रण एवं लेखन सामग्री (राजपत्रित) सेवा.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—
   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी.

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाया गया है;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) तथा खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा-विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके और प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी आदेश द्वारा विहित करे.

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

1. **आयु.**—

(क) विज्ञापन के प्रारंभ (जारी) होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसर महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक हो", उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी/स्थायी सेवा में से अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :— शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्तें इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 (तीन) वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(5) अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किये गये अधिकारी;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) अस्पृश्यता निवारण हेतु छत्तीसगढ़ अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1984 (छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारण अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम, 1984) के अंतर्गत अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार", गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 (अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमिशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए, उच्चतर आयु सीमा में 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

टीप.—

(1) उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) एवं (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को किसी परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे.

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी.

(ट) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(ठ) आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

(2) **शैक्षणिक अर्हतायें.**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है.

(3) **फीस.**— अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा उसे परीक्षा में प्रवेश के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.—** परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.—**

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा, ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी जैसा कि सरकार, समय-समय पर आयोग के परामर्श से निर्धारित करें.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा का संचालन ऐसे आदेशों के अनुसार किया जायेगा जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करें.

(3) सेवा में सीधी भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे तथा ऐसा आरक्षण समस्तर और प्रभागवार (हॉरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) होगा. पदों को शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार भरा जायेगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिएं उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनकी सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप-नियम (3) के अधीन, यथा-स्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो शेष रिक्तियां दोबारा विज्ञापित की जायेगी, यदि केवल इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार द्वारा चयन किया गया हो, भले ही पुनः विज्ञापन के पश्चात् भी, कोई रिक्तियां बिना भरे रह जाती है, तो उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों के बीच से भरा जायेगा तथा पश्चात्वर्ती चयन के दौरान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त रिक्तियों की समकक्ष संख्या आरक्षित रहेगी.

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लि[illegible] आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (जिसमें अग्रगणित रिक्तियां सम्मिलित हैं) विज्ञापित कुल रिक्तियों के पैंतालिस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(7) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए जहां अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गयी है तथा लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, अपेक्षित अनुभव के साथ आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.—**

(1) आयोग इन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि आयोग [illegible], तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की [illegible]

अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया हो, शासन को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :—**

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जायेगा.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप-नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी.

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.—**

(1) समिति, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिवस को, उन पदों में या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो अथवा और उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण .— पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, की पहली जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

परंतु आपात कमीशन के निर्मुक्त अधिकारियों की सेवा में नियुक्ति के पश्चात् तथा अल्प सेवा कमीशन की सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस दिनांक से गणना की जायेगी जिसमें वे सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 2266-1987-I (8)-67, दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार नियुक्त किये गये हों.

परंतु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को सेवा की विहित कालावधि उसके पूरा करने के आधार पर उसे चयन श्रेणी/पदोन्नति के लिए वरिष्ठ व्यक्ति से प्राथमिकता देने पर विचार किया जायेगा.

(2) चयन के क्षेत्र में सामान्यत: योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में शामिल किये गये अधिकारियों की संख्या सात गुणा तक सीमित होगी.

परंतु यदि इस प्रकार अवधारित किये गये उपयुक्त अधिकारियों की अपेक्षित संख्या, क्षेत्र में उपलब्ध न हो तो समिति द्वारा आवश्यक विचार कर लिखित में कारणों को दर्शाते हुए, क्षेत्र का विस्तार किया जा सकेगा.

15. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के

दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी. इसके अतिरिक्त इसके लिए उक्त कालावधि के दौरान अनपेक्षित रिक्तियों को भरने हेतु एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी.

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जाएगी.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी.

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित किया जाये कि राज्य अधीनस्थ सिविल सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना है तो समिति चयन, छानबीन, पुनरीक्षण के दौरान प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारण को अभिलिखित करेगी, उसके पश्चात् समिति, अवक्रमण के संबंध में लिखित में कारण अभिकथित करेगी.

16. **आयोग से परामर्श.—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन, आयोग के साथ परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

(2) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा आयोग को निम्नलिखित के साथ अग्रेषित की जायेगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) सेवा के ऐसे समस्त सदस्यों के अभिलेख जिनका सूची में की गयी सिफारिशों द्वारा अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो.

(3) यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा आयोग/अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई सदस्य, पदोन्नति समिति में उपस्थित रहे हो और यदि बैठक की कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर हों तो उप-नियम (1) के अधीन उपर्युक्त कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी.

17. **चयन सूची.—**

(1) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, सेवा के सदस्यों के अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाये गये पदों से, अनुसूची-चार के कॉलम (3) में दर्शाये गये पदों पर पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप-नियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाए किन्तु उसकी वैधता, इसके तैयार करने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि के पश्चात् नहीं बढ़ाई जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयम सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा-संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में उसी क्रम का अनुसरण किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है अथवा जो चयन सूची में आगामी क्रम में नहीं है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां तीन माह से अधिक समय के लिये संभाव्य नहीं है.

(2) साधारणतया ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के

बीच की कालावधि के दौरान, उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के संबंध में उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

(3) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नत नहीं किया जायेगा, यदि उसकी विभागीय जांच चल रही हो या उसके विरुद्ध अभियोजन संस्थित हो, जब तक कि जांच या अभियोजन यथास्थिति, पूरा न हो जाये.

19. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में, कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **निरसन और व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार कुजूर, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	पदों के नाम	वर्गीकरण	संवर्ग में पदों की संख्या	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री	प्रथम श्रेणी	01	रु. 14300-18300
2.	संयुक्त संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री	प्रथम श्रेणी	02	रु. 12000-16500
3.	उप संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री	प्रथम श्रेणी	03	रु. 10000-15200
4.	सहायक संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री	द्वितीय श्रेणी	04	रु. 8000-13500

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		टिप्पणियां
			चयन से सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	सेवा में मूल/स्थानापन्न सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संचालक	01	निरंक	निरंक	पद, प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे
2.	संयुक्त संचालक	02	निरंक	100%	
3.	उप संचालक	03	निरंक	100%	
4.	सहायक संचालक	04	50%	50%	

अनुसूची-तीन
[नियम 09 (2) देखिये]

विभाग का नाम	पदों का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हतायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व विभाग मुद्रण एवं लेखन सामग्री	सहायक संचालक	21 वर्ष	35 वर्ष	(एक) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या विभागीय अभ्यर्थी के मामले में, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
				(दो) भारत की या विदेश की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में लाइसेंसियेट (डिप्लोमा) होना चाहिए.
				(तीन) आवेदक, उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा, हिन्दी माध्यम में उत्तीर्ण हो, अथवा इस परीक्षा में एक विषय भाषा या सामान्य हिन्दी रहा हो.
				(चार) किसी आफसेट मुद्रणालय में पर्यवेक्षण का पांच वर्ष का अनुभव.

अनुसूची-चार
(नियम 15 देखिये)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 15 देखिये)	उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु आवश्यक न्यूनतम सेवा	न्यूनतम अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व (मुद्रण एवं लेखन सामग्री) विभाग	(अ) 1. प्रधान परीक्षक 2. ओवरसियर 3. कार्यालय अधीक्षक (ब) 4. तृतीय श्रेणी के अन्य तकनीकी कर्मचारी जो प्रधान परीक्षक, ओवरसियर एवं कार्यालय अधीक्षक के समकक्ष वेतनमान प्राप्त कर रहा हो.	सहायक संचालक	(एक) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य (दो) शासन के सचिव राजस्व विभाग (तीन) संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री	5 वर्ष	(अ) उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (ब) अनुसूची-तीन की अर्हता होनी चाहिए.
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित सहायक संचालक	प्रथम श्रेणी राजपत्रित उप संचालक	(एक) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य (दो) शासन के सचिव राजस्व विभाग (तीन) शासन के उप-सचिव राजस्व विभाग (चार) संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री	5 वर्ष	(अ) उच्चतर माध्यमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (ब) मुद्रण प्रौद्योगिकी में अनुज्ञा प्राप्त (लायसेंसियेट) होना चाहिए.
	प्रथम श्रेणी राजपत्रित उप संचालक	प्रथम श्रेणी राजपत्रित संयुक्त संचालक	(एक) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य (दो) शासन के सचिव राजस्व विभाग (तीन) संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री	5 वर्ष	स्नातक उत्तीर्ण तथा मुद्रण प्रौद्योगिकी से अनुज्ञा प्राप्त (लायसेंसियेट) होना चाहिए.

Raipur, the 1st May 2010

No.-F-3-97/Rev-2/2009.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment of Chhattisgarh Printing and Stationery (Gazetted) Service, namely :—.

RULES

1. **Short title and Commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Printing and Stationery (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires ;-

(a) "Appointing Authority" in respect of service means the Government;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(c) "Examination" means the competition examination for recruitment conducted under rule 11;

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(f) "Schedule" means the Schedule appendent to these Rules ;

(g) "State" means the State of Chhattisgarh ;

(h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article-341 of the Constitution of India ;

(i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article-342 of the Constitution of India ;

(j) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5, XXV 4-84, Dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;

(k) "Service" means the Chhattisgarh Printing and Stationery (Gazetted) Service.

3. **Scope and Application.**— (1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service .**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I ;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—The classification of the service, number of posts included in the service and pay scale attached thereto shall be as per the provisions mentioned in Schedule I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.—**

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules shall be made by following methods, namely :—

(a) by direct recruitment through competitive examination;

(b) by promotion as shown in column (2) of Schedule-IV;

(c) by transfer/deputation of the person, who hold in substantive capacity such post in such service, as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of person to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, the Government General Administration Department may, after prior consultation with Commission shall adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the sub-rule, as it may by order issued in this behalf prescribe.

(5) At the time of recruitment the provision of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and direction issued by General Administration Department from time to time shall be apply.

7. **Appointment in Service.—** All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.—**In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

1. **Age :—**

(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule III and not attain the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of Five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in the respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 38 years of age ;

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project implementing committee ;

(iii) A candidate who is "retrenched government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary/permanent service previously rendered

by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (Three) years;

Explanation – The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years;

Explanation.— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service :—

(1) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement.

(b) Full filling the condition of enrolment.

(3) Ex- personnel of Madras Civil Unit ;

(4) Ex-serviceman (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including short-service regular commissioned officers) ;

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(6) Ex-serviceman invalidated out of service;

(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to two years in repsect of Green card holder candidates under the Family Walfare Programme;

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 (five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste Marriage Incentive Scheme. Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme for untouchablity eradication Rule, 1984 (Chhattisgarh Aspreshyata Nivaran Anterjatiya Vivah Protosahan Yojna Niyam, 1984);

(g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of "Shaheed Rajiv Pandey Award", Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Samman holder candidates and Notional Youth Award holder young candidates;

(h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 (Thirty Eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Service rendered so by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 (Thirty Eight) years;

Note :-

(1) The Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination.

(j) After providing relaxation in the age limit on the basis of any one or more of the above for entering in Government Service, the age limit of 45 (Forty Five) years shall not exceed;

(k) The directions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall also be applicable.

(2) **Educational Qualification.—**The candidate must posses the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule III.

(3) **Fee.—** The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification.—** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him to admission in the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.—** The decision of Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be interviewed.

11. **Direct Recruitment by competitive examination.—**

(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the Commission in accordance with such orders as the Government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions issued under the Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

30 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for women candidates and such reservation will be horizontal and compartment wise. Posts will be filled according to roaster determined by the Government.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may under sub rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice if selection is to be made by interviews exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be, during the subsequent selection .

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five percent of the total vacancies advertised .

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of the Public Service Commission it is found that the sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Public Service Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candidates and Other Backward Classes.

12. **List of candidates recommended by the Committee.—**

(1) The Commission shall forward to the Government, a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of the administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidates is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion.—**

(1) There shall be constituted a committee consisting of members mentioned in Schedule-IV, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Services (Promotion) Rules, 2003 and as per model roaster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

14. **Conditions regarding eligibility for Promotion /Transfer.—**

(1) The committee shall consider the cases, of all persons as shown in column (2) of Schedule IV, who on the first day of January of that year had completed such number of the years of service, (whether officiating or substitutive), in the posts from which promotion is to be made or on any other posts or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV or and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation:— Manner of computation for eligibility for promotion - Period of qualifying service on 1st January of the relevant year, in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which Public Servant has joined the

feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

Provided that after appointment to the service of the released officers of emergency and short service commission after their appointment in the service, shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in accordance with the General Administration Department Memo No. 2266- 1987-I(8)-67, dated the 21st October ,1967.

Provided further that any junior person shall be considered for select grade/ promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to seven times the number of officers to be included in the select list in respect of posts to be filled on the basis of merit-cum-seniority.

Provided that if the required number of suitable officers are not available in the field, so determined, the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reasons in writing.

15. **Preparation of the list of suitable officers.—**

(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in rule 14 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list shall be prepared to fill the unexpected vacancies during said period.

(2) List of suitable officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If, in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the State sub ordinate Civil Service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession during selection, scrutiny or revision, then the committee shall state the reason in written regarding supersession.

16. **Consultation with the Commission.—**

(1) The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be in compliance of the requirement of the consultation with the Commission under Article 320 clause (3), sub-clause (b) of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

(2) The list prepared in accordance with rule 15 shall then be forwarded to Commission by the Government alongwith ;-

(i) the records of all persons included in the list ;

(ii) the records of all such members of the service who are proposed to be superseded by the recommendation made in the list ;

(3) If the Chairman of the Commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required.

17 **Select list.—**

(1) The list as finally approved by the Government shall from the select list for promotion of the members of the service from the posts shown in column (2) of Schedule-IV to the posts shown in column (3) of Schedule-IV;

(2) The select list ordinarily be in forced until if it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of Government and the Commission, may, if it thinks fit, remove the name of such person from the. select list.

18. **Appointment to the service from the select list.—**

(1) Appointment of the officers included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appears in select list:

Provided that, where the administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appointed to the service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months .

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there accurs any deterioration to his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

(3) A person, whose name is included in the select list , shall not be promoted, if he is facing a departmental enquiry or prosecution is about to be instituted against him, until he has been completely exonerated in that enquiry or prosecution as the case may be.

19. **Probation.—** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation.—** If any question arises relating to the Interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Repeal and saving.—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR KUJUR, Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Sl. No. (1)	Name of Posts (2)	Classification (3)	Number of Posts in the Cadre (4)	Scale of Pay (5)
1.	Director Printing and Stationery	Class-I	01	Rs. 14300-18300
2.	Joint Director Printing and Stationery	Class-I	02	Rs. 12000-16500
3.	Deputy Director Printing and Stationery	Class-I	03	Rs. 10000-15200
4.	Assistant Director Printing and Stationery	Class-II	04	Rs. 8000-13500

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

Sl. No.	Name of the posts included in the Service	Number of Posts	Percentage of the Number of Duty Posts to be filled in		Remarks
			By Direct Recruitment by selection vide Rule 6 (1) A	By Promotion Substantive/Officiative members of service vide Rule 6 (1) B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Director	01	Nil	Nil	Post are filled by deputation.
2.	Joint Director	02	Nil	100%	
3.	Deputy Director	03	Nil	100%	
4.	Assistant Director	04	50%	50%	

SCHEDULE-III
[See Rule 09 (2)]

Name of Department (1)	Name of Posts (2)	Minimum Age limit. (3)	Upper Age limit (4)	Educational Qualification (5)
Revenue Department Printing and Stationery.	Assistant Director	21 year	35 year	(i) Must have passed the Graduation or Equivalent of recognized University or Higher Secondary Examination passed in case of departmental candidate. (ii) Must be a licentiate (Diploma) in Printing Technology from any recognised Institution of India or aboard.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(iii) Applicant have passed higher secondary (10+2) examination in Hindi medium or that examination have one subject language or General Hindi. (iv) Practical experience of 5 years Supervision in any Offset Printing Press.

SCHEDULE-IV
(See Rule 15)

Name of Department	Name of posts from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Name of members of the Departmental promotion committee (vide rule 15)	Minimum Service essential for eligibility for promotion to higher post	Minimum Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Revenue (Printing and Stationery Depart-ment)	(A) 1. Head Examiner 2. Overseer 3. Office Supdt. (B) 4. Other technical employ of Class III who have found equivalent pay Scale of Head Examiner, Overseer and Office Supdt.	Assistant Director	(i) Chairman or Member of Public Service Commission. (ii) Secretary of Govern-ment Revenue Depart-ment. (iii) Director, Printing and Stationery.	5 years	(A) Must have passed Higher Secondary School Certi-ficate Exam. (B) Must have Qualification of Schedule-III.
	Class II Gazetted Assistant Director	Class I Gazetted Deputy Director	(i) Chairman or Member of Public Service Commission. (ii) Secretary of Govern-ment Revenue Depart-ment. (iii) Deputy Secretary to Government Revenue Department. (iv) Director, Printing and Stationery.	5 years	(A) Must have passed Higher Secondary School Certi-ficate Exam. (B) Must have Licentiate in Printing Technology.
	Class I Gazetted Deputy Director	Class I Gazetted Joint Director	(i) Chairman or Member of Public Service Commission. (ii) Secretary of Govern-ment Revenue Depart-ment. (iii) Director, Printing and Stationery.	5 years	Must have passed Graduation and Licentiate in Printing Techno-logy.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 22 दिसम्बर 2009

क्रमांक/10086/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	परसगढ़ी	1.51	सहायक कार्यपालन अभियंता, (निर्माण), द.पू.म. रेल्वे, मनेन्द्रगढ़.	द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर, पाराडोल एवं मनेन्द्रगढ़ के बीच ग्राम परसगढ़ी में रेलवे पुल क्र. 99 का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोंडी उपरोड़ा	गुडरूमुड़ा	5.123	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोरबा (छ. ग.).	रामपुर जलाशय योजना में डूबान कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/896/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	दनिया प. ह. नं. 26	0.29	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (से. मि.) संभाग, राजनांदगांव.	पहुंच मार्ग हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2010

अ.भू.अ. प्र. क्र./02/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुरूर
- नगर/ग्राम-डढ़ारी, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	30/2	0.04
	30/3	0.12
योग	02	0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भोथली-गंगोरीपार मार्ग, देवरानी-जेठानीनाला पुल निर्माण हेतु भूमि-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 31 मार्च 2010

भू-अर्जन प्र. क्र./01/अ-82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुरूर
(ग) नगर/ग्राम-गंगोरीपार, प. ह. नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	57/3	0.05
	58	0.01
	59	0.05
	60	0.10
योग	4	0.21

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भोथली-गंगोरीपार मार्ग, देवरानी-जेठानी मार्ग पुल निर्माण हेतु भूमि-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/881/अ.भू-अ.प्र./18/अ-82/वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिऐ आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-दुर्ग
(ग) नगर/ग्राम-उमरपोटी, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	405	0.12
	404	0.20
	440	0.02
	441	0.02
	442	0.05
	446	0.10
	438	0.01
	439	0.01
	716	0.11
	717/1	0.23
	397	0.12
	406	0.05
	734	0.08
	732	0.10
	731/1	0.05
	732/2	0.05
	739	0.01
	844/2	0.11
	740	0.03
	741/1	0.12
	735/1	0.08
	735/2	0.15
योग	22	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रिसाली उमरपोटी नाला जलाशय नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/884/अ.भू-अ.प्र./05/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-दुर्ग
  (ग) नगर/ग्राम-महमरा, प. ह. नं. 05
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.08 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	242	0.04
	243	0.07
	253	0.10
	254	0.07
	258	0.02
	259/1	0.08
	260	0.01
	533/1	0.05
	556	0.08
	557	0.06
	558	0.08
	572	0.42
योग	12	1.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- महमरा उ.सि.यो. हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/887/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-दुर्ग
  (ख) तहसील-दुर्ग
  (ग) नगर/ग्राम-रसमड़ा, प. ह. नं. 04
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.52 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	182	2.04
	781/1	0.23
	763	0.01
	775	0.06
	776	0.04
	777	0.06
	778/1	0.02
	780	0.06
योग	8	2.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रसमड़ा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/890/अ.भू-अ.प्र./07/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-खुरसुल, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	797	0.07
	800/3	0.06
	801	0.08
	802	0.10
	876	0.12
	879/1	0.05
योग	6	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरई व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/893/अ.भू-अ.प्र./08/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-दुर्ग

(ग) नगर/ग्राम-खुरसीडीह, प. ह. नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	210	0.01
	218	0.21
	451	0.05
	486	0.07
	487	0.11
	574	0.08
	488	0.06
	432	0.04
	489	0.03
	506	0.04
	508	0.02
	507	0.02
	511	0.03
	510	0.02
	420	0.03
	417	0.02
	406	0.05
	522	0.04
	405	0.02
	523	0.03
	524	0.05
	525	0.02
	529	0.01
	526	0.03
	530	0.10
	573	0.01
	575/3	0.01
	575/1	0.04
	205/3	0.54
	210	0.28
	211	0.13
	204/1	0.04
योग	32	2.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरदा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/899/अ.भू-अ.प्र./03/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-अगार, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.99 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	204/1	0.12
	205/1	0.06
	206/2	0.17
	217/1	0.15
	346/1	0.21
	347	0.10
	204/2	0.09
	206/1	0.35
	210	0.56
	231	0.01
	346/2	0.17
योग	11	1.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गाड़ाडीह से अगार पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/902/अ.भू-अ.प्र./06/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुल, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.98 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	87[illegible]	0.19
	874/1	0.04
	874/2	0.04
	837	0.13
	846	0.05
	847	0.05
	870	0.04
	869/1	0.03
	868	0.12
	865/1	0.05
	864/3	0.01
	849	0.01
	861/1	0.04
	860	0.03
	857	0.02
	855	0.04
	853	0.05
	876	0.04
योग	18	0.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरई व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/905/अ.भू-अ.प्र./04/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-बोरई, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1106	0.02
	1024/2	0.15
	1115	0.07
	1150	0.02
	1109	0.08
	1785	0.13
	1774	0.10
	950/1	0.18
	954	0.09
	1149	0.02
	950/4	0.31
	1018	0.48
	1027/3	0.09
	972	0.14
	1151	0.12
	973	0.09
	1781/1	0.07
	1157	0.02
	1791	0.17
	1019	0.13
	1153/2	0.05
	1153/3	0.03
	1784/2	0.07
	1030/2	0.03
	1030/1	0.03
	1031	0.05
योग	26	2.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोरई व्यपवर्तन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक/908/अ.भू-अ.प्र./01/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-दुर्ग
- (ग) नगर/ग्राम-नगपुरा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.599 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	109/2	0.599
योग	1	0.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नगपुरा जलाशय हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-प्रधानपुर, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.241 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	178/1	0.022
	178/2	0.011
	178/3	0.011
	181/1	0.016
	181/2	0.016
	181/3	0.028
	192/3	0.065
	200/2	0.028
	200/5	0.016
	200/4	0.028
योग	10	0.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलाईदादर, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
240	0.109
295/1 क	0.053
236/1 ख	0.008
235/1 ख	0.053
291/1 ख	0.008
292/1 ख	0.008
293/1 ख	0.008
294/1 ख	0.008
301/1 ख	0.007
303/1 ख	0.006
235/2	0.073
291/2	0.028
292/2	0.028
293/2	0.028
294/2	0.027
301/2	0.027
302/2	0.027
241/1	0.020
232/2	0.045
234	0.065
242	0.012
233/2	0.012
291/1 क	0.008
292/1 क	0.008
293/1 क	0.008

	(1)	(2)
	294/1 क	0.008
	301/1 क	0.007
	303/1 क	0.006
	377/1	0.149
	375/1	0.149
	383/1	0.041
	383/2	0.037
	384	0.194
योग	33	1.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-खुड़बेना, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.370 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	169/1	0.037
	174/4	0.101
	169/2	0.016
	191/2	0.008
	169/3	0.008
	169/4	0.004
	171	0.008
	176/1 घ	0.094
	180	0.046
	336/12	0.069
	338/18	0.028
	181	0.046
	186/1	0.045
	183	0.004
	184/1	0.041
	184/2	0.041
	185/2	0.057
	188	0.061
	189	0.036
	190	0.045
	337/17	0.061
	207/1	0.258
	191/3	0.032
	270	0.024
	271/1	0.045
	272/1	0.016
	272/2	0.016
	272/3	0.016
	274/3	0.037
	274/5	0.057
	274/6	0.101
	293/7 क	0.160
	293/7 ख	0.154
	336/10	0.057
	334/3	0.020
	335/1	0.129
	336/3 क	0.113
	336/3 घ	0.060
	336/8	0.109
	336/9	0.057
	336/19	0.008
	336/11	0.045
योग	42	2.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-प्रधानपुर, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.617 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	175/1	0.045
	183/1	0.030
	175/2	0.048
	176/1	0.091
	186/1	0.008
	176/2 क	0.020
	176/2 ख	0.020
	176/3 क	0.016
	192/1	0.011
	176/3 ख	0.008
	176/3 घ	0.008
	192/1	0.011
	192/1	0.008
	192/1	0.024
	192/1	0.052
	185	0.004
	183/2	0.030
	182/2	0.042
	183/3	0.024
	180	0.053
	181	0.016
	179/5	0.016
	179/2	0.020
	179/1	0.012
योग	24	0.617

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 संन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-सारंगढ़
(ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प. ह. नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.797 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
177	0.093
176	0.057
175	0.040
112/1	0.194
174/2	0.065
174/1	0.065
113	0.065
114	0.073
110	0.081
109/1	0.028
109/2	0.028

(1)	(2)
115	0.008
योग 12	0.797

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मुड़पार छोटे, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.327 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
503/3	0.024
623/4	0.101
504	0.077
505	0.012
511	0.053
687/1	0.016
699/3	0.020
958/1	0.032
1019	0.069
508	0.028
686	0.045
1018/4	0.010
688	0.101
689/2	0.045
698/7	0.016
1036/6	0.012
1105/2 ग	0.012
1106/2	0.012
612	0.070
613/1	0.070
1036/3	0.012
612	0.037
613/2	0.036
1105/2 च	0.006
1106/2	0.006
621/2	0.008
622	0.016
621/4	0.004
1036/7	0.016
1105/2 घ	0.015
1106/3	0.014
623/8	0.032
623/9	0.032
865/2	0.012
856/3	0.028
1104/5	0.060
710/2	0.040
710/3	0.012
711/4	0.016
865/1	0.008
1104/6	0.073
866/1	0.008
958/2	0.016
961	0.035
962	0.034
959	0.024
960	0.032
963	0.024
957/1	0.012
957/2	0.008
1020/1	0.089
1016	0.020
1017	0.061
1018/1	0.020
1039/1	0.012
1018/2	0.020
1018/4	0.020
868	0.012
867/2	0.012

(1)	(2)
868/1	0.024
1126/3	0.016
1038	0.040
1039/2	0.012
1040	0.040
1105/2 ख	0.012
1106/2	0.012
623/10	0.032
702/3	0.032
703	0.040
705/1	0.032
866/2	0.028
1036/2 ग	0.016
1039/3	0.016
706	0.016
1123	0.032
1126/1	0.032
1126/2	0.032
1124	0.032
868/3	0.028
867/1	0.020
867/3	0.016
योग 81	2.327

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुला, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.362 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
298/1	0.105
298/3	0.081
298/11	0.057
318/1	0.004
1133/3	0.145
318/2	0.113
537	0.057
547	0.028
551/1	0.008
1070	0.032
1071/2	0.081
1302/1	0.061
318/3	0.133
318/5	0.037
1056/2 ख	0.040
318/6	0.101
453	0.020
318/7	0.041
319/2	0.040
326	0.101
370	0.027
371	0.026
550/3	0.012
833/6	0.193
1320/3	0.081
368/1	0.101
350	0.057
532	0.027
533	0.027
534	0.027
535	0.027
536	0.021
370	0.010
1119/1	0.065
505/1	0.040
523/1	0.061

(1)	(2)	(1)	(2)
523/2क	0.069	421	0.020
525/2 क	0.045	1049/2	0.069
558/3	0.037	1267	0.137
525/2 ग	0.028	422/1	0.012
526/2	0.028	460/2 क	0.012
525/1 क	0.028	422/2	0.012
552/2	0.028	428/1	0.032
555/1	0.040	451	0.048
556/1	0.037	516/2	0.047
558/4 क	0.057	520/2 क	0.046
558/2 क	0.049	833/4	0.117
560/1 क	0.028	450	0.014
825/4	0.028	452	0.012
830	0.057	554/2	0.012
832/1	0.181	457	0.024
1043/1	0.012	458/2	0.020
1043/2 क	0.008	829/1	0.047
1044	0.024	829/2	0.046
1045	0.045	458/1	0.020
1046	0.032	461/1	0.004
1048	0.024	1075/2	0.028
1321	0.200	1068	0.012
1047	0.032	1069	0.012
1055	0.081	1075/1	0.012
1056/2 क	0.032	1071/1	0.069
1068	0.011	1075/1	0.068
1069	0.011	1064/2 ग	0.133
1072/2	0.010	1064/3 ड	0.093
1073/2	0.049	1064/2 क	0.028
1074/1	0.029	1067	0.012
371/2	0.010	1064/2 ख	0.028
1098	0.004	1064/2 ग	0.028
403/1	0.024	1064/1	0.028
1092	0.093	1071/1	0.032
406	0.036	1091/1 ख	0.040
456/1	0.032	1100/4	0.004
1091/1 क	0.040	1101/1	0.233
407	0.008	1100/3	0.004
1091/2	0.020	1120/5	0.137
413/1	0.004	1121/1	0.036
415	0.028	1128/1	0.016
1049/1	0.008	1133/1	0.028
418/1	0.012	1133/2	0.105
418/2	0.012	1133/4	0.045
419/1	0.012	1137/1	0.057
419/2	0.012	1137/2	0.028
		1138	0.065

	(1)	(2)
	1136/1	0.061
	1136/2	0.061
	1263/4	0.109
	1265/6	0.108
	1265/2	0.036
	1268/3	0.024
	1299/1	0.008
	1384/1	0.041
योग	137	6.362

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रामभांठा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.010 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	140/1 क	0.016
	140/1 ख	0.016
	140/2	0.081
	141/1	0.053
	141/2	0.053
	144/1	0.158
	145	0.065
	137	0.023
	138/4	0.022
	194	0.020
	215/2	0.020
	147/1	0.033
	147/2	0.039
	194	0.136
	215/1	0.136
	353	0.037
	341/4	0.101
	216	0.017
	217/3	0.017
	216/7	0.056
	217/7	0.056
	218/1	0.035
	218/2	0.037
	219/1	0.061
	220/1	0.061
	219/2	0.077
	354/1	0.140
	355/1	0.101
	347	0.081
	348/3	0.045
	348/1	0.069
	348/2	0.008
	349	0.012
	350/2	0.128
योग	34	2.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे गंतुली, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.645 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/2	0.073
44/3	0.004
47/1	0.008
47/2	0.057
305/1	0.121
357/2	0.008
363	0.049
366	0.032
380/2 क	0.028
41/1	0.049
157/1	0.004
45/2 क	0.041
45/2 ख	0.041
45/2 ग	0.037
45/3	0.069
157/2	0.093
46/2 क	0.040
46/2 ग	0.137
46/3	0.153
80	0.153
348	0.032
383	0.024
81	0.137
157/4	0.057
158/2 ख	0.049
158/2 ग	0.065
303/3	0.076
306	0.024
307/1	0.028
307/2	0.129
308	0.024
309	0.093
313/1	0.028
313/2	0.032
314/2	0.060
314/3	0.060
346/1	0.024
349	0.016
359	0.041
350	0.016
362	0.032
357/1	0.020
379	0.024
381/1	0.024
382/1	0.032
384	0.016
385/2	0.032
387	0.032
402	0.038
404	0.035
405	0.028
406/1	0.032
406/2	0.032
406/3 क	0.032
406/3 ख	0.024
योग 55	2.645

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मचलाडीह, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.642 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
127/2	0.010
128/1	0.030
132/2	0.120
129/1	0.034
131/1	0.116
132/3	0.012
137	0.414
235	0.061
228/1	0.032
133/1	0.202
139	0.196
234	0.032
318	0.036
236	0.008
540/1	0.040
239/2	0.202
238	0.045
445	0.008
317	0.057
314	0.069
446/1	0.064
446/2	0.065
443/2	0.008
447	0.255
463	0.129
467	0.013
461	0.085
462	0.017
464	0.121
455	0.040
456	0.008
457/2	0.022
453/1	0.012
548	0.141
550	0.141
454	0.014
544/2 क	0.034
546/3 क	0.101
546/5 क	0.052
545/4	0.210
543/3	0.116
542/1	0.129
544/1	0.050
546/3 ख	0.101
योग 44	3.642

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरभांठा, प. ह. नं. 05
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.739 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
238/2	0.065
238/3	0.073
238/4	0.061
239/1	0.028
346	0.004
240/2	0.133
241	0.109
375/4	0.016
375/3	0.189
390/1	0.226
358/1	0.065
359/1	0.020

(1)	(2)
358/2 क	0.093
358/2 ख	0.036
358/3	0.012
359/5	0.036
349	0.004
356/2	0.028
356/1	0.004
359/4	0.028
350/2	0.020
359/3	0.036
359/2	0.028
350/3	0.081
350/5	0.073
350/4	0.053
348	0.045
347/1	0.012
347/2	0.024
344	0.053
343	0.060
342/3	0.020
342/2	0.004
योग 33	1.739

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जसरा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.502 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
444/1	0.085
445/1	0.057
446/1	0.056
445/2	0.058
446/2	0.059
432/3 क	0.097
432/2	0.015
423/1 ग	0.014
444/2	0.061
योग 9	0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लेन्ध्रा छोटे, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.542 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
884/1	0.542
योग 1	0.542

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे खैरा, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.450 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	20	0.135
	21	0.135
	22	0.135
	1673/1	0.045
योग	4	0.450

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 16 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भौरादादर, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.719 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	17/1 ड	0.040
	265/2	0.526
	60/5 ख/1	0.470
	41/302/1 ख	0.061
	40/1	0.041
	49/1	0.017
	17/1 ढ	0.049
	60/1	0.040
	265/3	0.526
	41/302/2 क	0.158
	46	0.018
	45/2	0.121
	139/2 च	0.032
	41/302 क	0.061
	60/2 ख	0.081
	47	0.017
	102/2	0.097
	59/2 क	0.024
	99/2 क	0.311
	107/3	0.012
	48	0.017
योग	21	2.719

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लीलार व्यपवर्तन योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 13 मई 2010

क्रमांक/3882/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-महरूमकला, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-54.924 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	928	54.924
योग		54.924

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर 492001

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2010

क्रमांक-एफ 03-02/2007/एक/1836.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के अध्यक्षता में दिनांक 31 मार्च 2010 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्त पाये गये छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग के निम्नांकित सहायक ग्रेड-1 के कर्मचारियों को अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतन 4400 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदोन्नत किया जाता है.

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नत पद
1.	श्री गोपाल भारती	सहायक ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी) पदग्रेड एस-8	अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) पदग्रेड एस-9 (II)
2.	श्री बी. के. विश्वास	सहायक ग्रेड-1 (तृतीय श्रेणी) पदग्रेड एस-8	अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) पदग्रेड एस-9 (II)

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है.

3. पदोन्नत अधिकारियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर पद ग्रहण करना आवश्यक होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरंस्त समझा जायेगा.

4. वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प पदोन्नति आदेश की तिथि से एक माह के भीतर देना होगा. इस प्रकार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जायेगा. निर्धारित समय के भीतर विकल्प प्राप्त नहीं होने पर नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण कर दिया जायेगा.

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.